[2022] 10 एस सी आर 77

ए.

डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बनाम

डॉ. येरा त्रिनाध और अन्य (2022 की सिविल अपील संख्या 8037) 04 नवंबर, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जेजे।**]**

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-संबंधित नियमों में इस तरह के प्रावधान के अभाव में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश-उचित नहीं-मूल रिट याचिकाकर्ता अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उपस्थित हुए-उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन-पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रार्थना करने वाले संबंधित छात्रों द्वारा दायर रिट याचिकाएं-एकल न्यायाधीश ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया-खंड पीठ द्वारा पुष्टि किया गया आदेश-अपील पर कहा गयाःएम. सी. आई. के नियमों या विश्वविद्यालय के नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी विनियमन के अभाव में, उच्च न्यायालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देना उचित नहीं ठहराया-उत्तर पुस्तिकाओं/उत्तर पुस्तिकाओं को बुलाने की प्रथा और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए संबंधित नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं होने पर पुनर्मूल्यांकन का आदेश देना और वह भी अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्वीकृत है-एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के निर्णयों को दरकिनार कर दिया गया है-हालांकि, पुनर्मूल्यांकन या पूरक परीक्षा में उपस्थित होने के बाद मूल रिट याचिकाकर्ताओं के परिणाम घोषित किए गए हैं, इसलिए वे प्रभावित नहीं होंगे और/या बाधित नहीं होंगे।अवमूल्यन-अभिलेख को पढ़ने के बाद आदेशित उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन-आयोजितःउच्च न्यायालय उत्तर पुस्तिकाओं के अभिलेख को बुलाने और फिर यह संतुष्ट करने के लिए कि पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता थी या नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं था-जैसा कि बताया गया है, उच्च न्यायालय उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों को यह संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है या नहीं और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन का आदेश/निर्देश देते हैं, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

न्यायिक समीक्षा-उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का दायरा-आयोजितः न्यायालय को किसी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ देना सबसे अच्छा है-किसी भी प्रावधान के अभाव में

एच.

77 ए.

78 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस. सी. आर.

संबंधित नियमों में पुनर्मूल्यांकन, परीक्षकों को पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या मांग करने का कोई अधिकार नहीं है-उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन को निर्देशित करने या निर्देशित नहीं करने के मामले में सहानुभूति या करुणा कोई भूमिका नहीं निभाती है।

प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना और अन्य, (2004) 6 एससीसी

बी.

714) :[2004] 3 पूरक।एस. सी. आर. 372; विकेश कुमार गुप्ता

& एक अन्य बनाम राजस्थान और अन्य राज्य, (2021) 2

एससीसी 309:2020 (12) जेटी 202; रन विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2018) 2 एस. सी. सी. 357:[2017] 12 एस. सी. आर. 95-पर निर्भर।

सी.

संदर्भित विधि निर्णय

[2004] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 372** पैरा **5 [2017] 12** एस**.** सी**.** आर**. 95** पर निर्भर था।

उस पर भरोसा करें

पैरा **8.2**

डी.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2022 की सिविल अपील संख्या 8037।

2019 के डब्ल्यू. ए. संख्या 363 में अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 31.10.2019 के निर्णय और आदेश से।

ई.

के साथ

2022 की सिविल अपील संख्या 8038

एफ.

वाई. राजा गोपाल राव, सुश्री विस्मई राव, कोराडा प्रमोद कुमार, धुली गोपी कृष्ण, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

ए. डी. एन. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, अन्नम वेंकटेश, राहुल मिश्रा, डी. शिवशंकर, सुश्री अग्रिमा सिंह, सुश्री ऋतुभरा गर्ग, गोली राम कृष्ण, सुमंत नुकाला, एम. ए. चिन्नासामी, सौरभ गुप्ता, सी. एच. लीला सर्वेश्वर, सी. राघवेन्द्रन, सुश्री अरुणा गुप्ता, रमेश अल्लांकी, सैयद अहमद नकवी, महफूज अहसान नाज़की, पोलांकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, सुश्री नीति रिचरिया, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

जी.

एच.

79

डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बनाम डॉ. येरा त्रिनाथ और अन्य ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अमरावती में 2019 की रिट अपील संख्या 363 और 364 में पारित किए गए विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त रिट अपीलों को खारिज कर दिया है और रिट याचिका संख्या 10376/2019 और 9486/2019 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश की पुष्टि की है, जो एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (इसमें अपीलकर्ता) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर में उपस्थित होने वाले संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं की उत्तर लिपियों के पुनर्मूल्यांकन का आदेश/निर्देश देता है, विश्वविद्यालय ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

बी.

सी.

2. कि मूल रिट याचिकाकर्ता अपीलार्थी-विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उपस्थित हुए।उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया गया था।मुकदमेबाजी के पहले दौर में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए थे कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाए।संबंधित छात्र-मूल रिट याचिकाकर्ता उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं थे और इसलिए उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं, जिनका डिजिटल मूल्यांकन किया गया था।2.1 विद्वत एकल न्यायाधीश ने अभिलेख माँगा और अभिलेख को देखने के बाद, विद्वत एकल न्यायाधीश की राय थी कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा मुकदमे के पहले दौर में जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं था और उत्तर पुस्तिकाओं का कोई उचित मूल्यांकन नहीं था।ऐसा मानते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने चार नए परीक्षकों की पहचान करके एमसीआई के प्रचलित मानदंडों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया।रिट याचिकाओं को अनुमति देते समय, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्देश/आदेश दियाः

डी.

ई.

एफ.

“इसलिए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे चार नए परीक्षकों की पहचान करके याचिकाकर्ताओं की उत्तर पुस्तिकाओं का एक बार फिर एमसीआई के प्रचलित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन करें।उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त नए परीक्षकों को अपलोड की गई उत्तर पुस्तिका पर शारीरिक रूप से अंक आदि डालने के लिए स्पष्ट और स्पष्ट निर्देश दें।चिन्हित ग्लोबेराना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को परीक्षक को डिजिटल/अपलोड उत्तर के मूल्यांकन का तरीका सिखाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

जी.

एच.

शीट (यदि आवश्यक हो)।संशोधित पत्रक को भविष्य की समीक्षा के लिए और यह पता लगाने के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए कि परीक्षक ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय

अपने दिमाग का उपयोग किया है या नहीं।पूरा अभ्यास आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।"

2.2 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश खंड पीठ के समक्ष रिट अपील का विषय था।डिवीजन बेंच के समक्ष, अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की ओर से विशेष रूप से यह तर्क दिया गया था कि चूंकि पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं था और इसलिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश पुनर्मूल्यांकन का आदेश देना उचित नहीं था।यह प्रस्तुत किया गया था कि यद्यपि उक्त याचिका विशेष रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष ली गई थी, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया।कि विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विश्वविद्यालय द्वारा दायर रिट अपीलों को खारिज कर दिया है।इसलिए, वर्तमान अपीलें।

बी.

सी.

डी.

3. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्तमान अपीलों में नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने 9.4.2021 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया:"देरी को माफ कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी Nos.1-23 से संबंधित अंतिम वर्ष पीजी डिग्री/डिप्लोमा परीक्षा के परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं।उनमें से कुछ पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए हैं और अन्य बाद की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।वह प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी संख्या 1-23 के संबंध में घोषित परिणामों को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा।हालाँकि, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके बावजूद उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस/पीजी परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया है।वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि इसी मुद्दे पर उच्च न्यायालय में कई मामले लंबित हैं।

ई.

एफ.

चार सप्ताह में वापस करने योग्य सूचना जारी करें।दस्ती सेवा की भी अनुमति है।"

जी.

4. इसलिए, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के आधार पर घोषित परिणाम, जिसकी

खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है, किसी भी तरह से बाधित नहीं होंगे।यह बताया गया है कि न केवल ए

एच.

81

डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बनाम डॉ. येरा त्रिनाथ और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, यहां तक कि संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ता जिन्हें पुनर्मूल्यांकन पर उत्तीर्ण घोषित किया गया था, उन्हें भी पीजी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में उनके पक्ष में संबंधित डिग्री जारी की जाती है।हालाँकि, जैसा कि दिनांक 1 के आदेश में कहा गया है कि इसी मुद्दे पर उच्च न्यायालय में कई मामले लंबित हैं, विश्वविद्यालय की ओर से पेश विद्वान वकील ने योग्यता के आधार पर इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध किया है, अर्थात्, "क्या, पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने में उचित ठहराया गया था?"

बी.

5. विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, उच्च न्यायालय उत्तर पुस्तिकाओं/उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने में उचित नहीं था और वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए।उनके निवेदन के समर्थन में, प्रमोद के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भारी निर्भरता रखी गई है।

सी.

कुमार श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष**,** बिहार लोक सेवा आयोग**,** पटना और अन्य**, (2004) 6** एस**.** सी**.** सी**. 714) (**पैराग्राफ **7** और **8);** और

डी.

विकेश कुमार गुप्ता के मामले में इस अदालत का हालिया फैसला और

एक अन्य बनाम राजस्थान और अन्य राज्य, (2021) 2 एस. सी. सी. 309।

5.1 अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील हमें कुलसचिव के हलफनामे पर ले गए हैं, जो इस न्यायालय द्वारा 17.01.2022 पर पारित आदेश के अनुसार दायर किया गया है, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय को उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि

विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए डिजिटल मूल्यांकन (ऑनलाइन मूल्यांकन) शुरू किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि शुरू में प्रायोगिक परियोजना मेसर्स ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को सौंपी गई थी, जिसने ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन किया था और परीक्षकों द्वारा उनका ऑनलाइन मूल्यांकन किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि डिजिटल मूल्यांकन के लिए प्रायोगिक परियोजना को संतुष्ट करने के बाद, विश्वविद्यालय ने इसे 13.07.2016 पर आयोजित कार्यकारी परिषद की 221 वीं बैठक में रखा और कार्यकारी परिषद ने डिजिटल मूल्यांकन की विधि और विश्वविद्यालय की देखरेख में नोडल कंपनी की सेवाओं का सत्यापन किया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद कार्यकारी परिषद द्वारा डिजिटल मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, विश्वविद्यालय ने प्रत्येक परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया है और डिजिटल मूल्यांकन के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा संकल्प के बाद कोई मैनुअल मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

5.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद और उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 26929/2016 में निर्णय पारित करने के बाद, विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए दोषों को सुधारने और डिजिटल मूल्यांकन की प्रणाली में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में सुधार और संशोधनों के बाद वर्तमान डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 15865/2022 में हाल के फैसले में मंजूरी दी गई है।

बी.

6. संबंधित मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि जहां तक मूल रिट याचिकाकर्ताओं का संबंध है, क्योंकि उन्हें पुनर्मूल्यांकन और/या पूरक परीक्षा में उपस्थित होने के बाद उत्तीर्ण घोषित किया जाता है और उनके परिणाम घोषित किए जाते हैं

और उन्हें डिग्री प्रदान की जाती है, उन्हें बाधित नहीं किया जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 9.4.2021 आदेश में कहा गया है।

सी.

7. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न रखा गया है, वह यह है कि "क्या पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, उच्च न्यायालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के रिकॉर्ड को बुलाने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आदेश देना उचित था?

डी.

8. उपरोक्त मुद्दे/प्रश्न पर विचार करते समय, इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है, जिनमें ऊपर उल्लिखित दो निर्णय शामिल हैं, जिन पर विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है।

ई.

8.1 प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (ऊपर) के मामले में, यह है

इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया कि संबंधित नियमों में पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, परीक्षकों को पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।पैराग्राफ 7 और 8 में, इसे निम्नानुसार देखा और माना गया हैः

एफ.

“7. हमने अपीलार्थी (रिट याचिकाकर्ता) को व्यक्तिगत रूप से और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुना है।विचार के लिए जो मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश को सामान्य विज्ञान के पेपर में अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने में उचित ठहराया गया था।आयोग के प्रासंगिक नियमों के तहत, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कोई उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए पूछने का हकदार हो।जांच के लिए केवल एक प्रावधान है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को यह जांचने के उद्देश्य से देखा जाता है कि क्या किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए सभी उत्तरों की जांच की गई है और क्या ए में कोई गलती हुई है।

जी.

एच.

प्रत्येक प्रश्न के अंकों का योग और उत्तर पुस्तिका के पहले आवरण पृष्ठ पर उन्हें सही ढंग से नोट करना।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जांच के बाद सामान्य विज्ञान के पेपर में अपीलार्थी को दिए गए अंकों में कोई गलती नहीं पाई गई।संबंधित नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार को अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या पूछने का कोई अधिकार नहीं है।इस प्रश्न की काफी विस्तार से जांच की गई थी।

बी.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भुपेशकुमार सेठ

[(1984) 4 एससीसी 27:ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1543]इस मामले में, एक उम्मीदवार द्वारा उस प्रभाव के लिए किए गए आवेदन पर सत्यापन (अंकों की जांच) के लिए प्रासंगिक नियम प्रदान किए गए हैं।कुछ छात्रों ने रिट याचिकाएं दायर कर प्रार्थना की कि उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए और बोर्ड को ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाए जो याचिकाकर्ता निरीक्षण के बाद मांग कर सकते हैं।उच्च न्यायालय ने कहा कि अंकों के सत्यापन के लिए प्रावधान करने वाले नियम ने परीक्षार्थियों को प्रकटीकरण और निरीक्षण की मांग करने और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने के लिए एक निहित शक्ति दी है।उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में जो एक परीक्षक को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार प्रदान करता है, ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आयोग के प्रासंगिक नियम के तहत किसी उम्मीदवार को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराने का कोई प्रावधान नहीं है।ऐसी स्थिति में, रिट याचिका में अपीलार्थी द्वारा की गई प्रार्थना पूरी तरह से असमर्थनीय थी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी।8. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए पाठ्यक्रम को अपनाने से व्यावहारिक समस्याएं पैदा होंगी।कई उम्मीदवार एक मौका लेना पसंद कर सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से, अदालत अलग-अलग तारीखों पर आदेश पारित करेगी जब रिट याचिकाएं दायर की जाएंगी।आयोग को फिर से मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को अलग-अलग उम्मीदवारों की प्रतियां भेजनी होंगी, जिसमें समय लगना तय है।आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा एक प्रतियोगी परीक्षा होने के कारण, अंतिम परिणाम की घोषणा में अनावश्यक रूप से देरी होगी और रिक्तियां लंबे समय तक नहीं भरी जाएंगी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

यदि कोई उम्मीदवार पुनर्मूल्यांकन में कम अंक प्राप्त करता है तो क्या होगा?वह एक याचिका के साथ आगे आ सकता है कि मूल रूप से उसे दिए गए अंकों को ध्यान में रखा जाए।इस विषय पर स्पष्ट नियमों की अनुपस्थिति कई समस्याओं को जन्म दे सकती है और व्यापक हित में, उनसे बचा जाना चाहिए।"

8.2 रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, (2018) 2

बी.

एस. सी. सी. 357, पैराग्राफ 32 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः"32. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय के कई फैसलों के बावजूद, जिनमें से कुछ पर ऊपर चर्चा की गई है, परीक्षाओं के परिणाम में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है।यह परीक्षा अधिकारियों को एक असहनीय स्थिति में रखता है जहां वे जांच के दायरे में हैं न कि उम्मीदवारों के।इसके अतिरिक्त, एक व्यापक और कभी-कभी लंबे समय तक चलने वाला परीक्षा अभ्यास अनिश्चितता की हवा के साथ समाप्त होता है।हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवारों ने परीक्षा की तैयारी में जबरदस्त प्रयास किया, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि परीक्षा अधिकारियों ने भी सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित करने के लिए उतने ही बड़े प्रयास किए।कार्य की विशालता बाद के चरण में कुछ चूक का खुलासा कर सकती है, लेकिन अदालत को परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों में हस्तक्षेप करने से पहले परीक्षा अधिकारियों द्वारा रखे गए आंतरिक नियंत्रण और संतुलन पर विचार करना चाहिए।वर्तमान अपील इस तरह के हस्तक्षेप के परिणाम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां आठ साल के अंतराल के बाद भी परीक्षाओं के परिणाम की कोई अंतिमता नहीं है।परीक्षा अधिकारियों के अलावा उम्मीदवार भी परीक्षा के परिणाम की निश्चितता या अन्यथा के बारे में सोच रहे हैं-क्या वे उत्तीर्ण हुए हैं या नहीं; क्या उनका परिणाम अदालत द्वारा अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाएगा; क्या उन्हें किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं; और क्या उनकी भर्ती होगी या नहीं।यह असंतोषजनक स्थिति किसी के लाभ के लिए काम नहीं करती है और अनिश्चितता की ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप भ्रम और भी

अधिक भ्रमित हो जाता है।इन सब का समग्र और बड़ा प्रभाव यह है कि जनहित प्रभावित होता है।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

8.3 विकेश कुमार गुप्ता (ऊपर) के मामले में, विचार करने के बाद

उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर निर्णयों का अवलोकन और अभिनिर्धारित किया जाता है कि ए

एच.

85

डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बनाम डॉ. येरा त्रिनाथ और अन्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

न्यायालय को किसी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ देना सबसे अच्छा है।

9. हाथ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय उत्तर पुस्तिकाओं के रिकॉर्ड को बुलाने और फिर यह संतुष्ट करने के लिए कि क्या पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता थी या नहीं, बिल्कुल भी उचित नहीं था।जैसा कि बताया गया है, उच्च न्यायालय उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों को यह संतुष्ट करने के लिए बुला रहे हैं कि क्या पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है या नहीं और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन का आदेश/निर्देश देते हैं, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उत्तर पुस्तिकाओं/उत्तर पुस्तिकाओं को बुलाने और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने की ऐसी प्रथा और वह भी पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक नियमों में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में और वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय अस्वीकृत है।

बी.

सी.

10. अन्यथा, वर्तमान मामले में, विश्वविद्यालय ने डिजिटल मूल्यांकन को अपनाया है जिसे बाद में संशोधित/सुधार किया गया है और कमियों को दूर कर दिया गया है, जिसे अब उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 15865/2022 में हाल के निर्णय में अनुमोदित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किए जाने की सूचना है।डिजिटल मूल्यांकन के उपयोग पर विश्वविद्यालय की ओर से दायर हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि सटीक मूल्यांकन डिजिटल रूप से करने के लिए सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। डिजिटल मूल्यांकन करते समय परीक्षकों को विशिष्ट निर्देश और प्रशिक्षण दिए जाते हैं।यह बताया गया है कि संकाय ने विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए सॉफ्टवेयर में शामिल उपकरणों और टिप्पणियों का उपयोग करके अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है।किसी भी मामले में, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी विनियमन के अभाव में, या तो एमसीआई नियमों में या विश्वविद्यालय नियमों में, उच्च न्यायालय उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देना उचित नहीं है।जैसा कि रण विजय सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने या न देने के मामले में सहानुभूति या करुणा की कोई भूमिका नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

11. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने वाला सामान्य निर्णय और आदेश, जिसकी खंड पीठ द्वारा विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा पुष्टि की गई है, अस्थिर है।हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, मूल रिट याचिकाकर्ताओं के परिणाम के रूप में

एच.

पुनर्मूल्यांकन या पूरक परीक्षा में उपस्थित होने की घोषणा के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णयों और आदेशों को रद्द करते हुए, उन्हें प्रभावित और/या बाधित नहीं किया जाएगा।संबंधित नियमों में इस तरह के किसी भी प्रावधान के अभाव में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णयों और आदेशों को

रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, वही पुनर्मूल्यांकन या पूरक परीक्षा में उपस्थित होने पर मूल रिट याचिकाकर्ताओं के परिणामों की घोषणा को प्रभावित नहीं करेगा।

बी.

सी.

12. तदनुसार, इन दोनों अपीलों की अनुमति दी जाती है।इस बारे में कोई आदेश नहीं लागतें।

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.